राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–1)

Phone 0141–2227634, E-mail: jsadmin.rdd@rajasthan.gov.in Website : rdprd.gov.in

क्रमाक: एफ 8(7)ग्रावि / ग्रुप–1 / 2020/7890-7897 जयपुर, दिनांक 6 SEP 2022

–: आदेश :–

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष, 2018 में आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्रांक प.1(2) प्र.सु. / अनु.–3 / 2020 दिनांक 01.04.2022 के द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer trainee) के रूप में नियुक्ति हेतु विभाग आवंटित किया गया है। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999, (संशोधन) नियम 2006 एवं 2017 के अंतर्गत निम्न अभ्यर्थी को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 15(1) वित्त / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600 / – प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरांत पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–05 प्रतिमाह पर अद्योलिखित शर्तो पर कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	श्रेणी	मेरिट नम्बर	रोल न.	जन्म तिथि
1.	श्री अभिषेक शर्मा	श्री रामस्वरूप शर्मा	GEN	5733	1195360	16.08.1998

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है:–

1. श्री अभिषेक शर्मा को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश उक्त समयावधि में कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
2. अभ्यर्थी की कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
3. परिवीक्षाकाल अवधि में इन्हें नियमानुसार कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नही होगी।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियम वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11 / एसटी एससी ओबीसी एसबीसी / जा.प्र.प / सामान्यअवि / 2015 / 54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204) आरएण्डपी / डीडीबीसी / सामान्यअवि / 2011 / 68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों / सत्यापन के अध्याधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना प. 12(6)वित्त / नियम / 05 दिनांक 13.03.2006, 06(06)वित्त / नियम / 2005 दिनांक 13.03.2006 ,01(02)वित्त / नियम / 2006 दिनांक 13.03.2006, 13(01)वित्त / नियम / 2003 दिनांक 13.03.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2008, दिनांक 30.10.2017 के अंतर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–वार्षिक वेतन वृद्धि, मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565 / 2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

06/09/2022

लगातार——2

8. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
9. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते है तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
12. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गइ है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय है।
13. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति मे इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
14. उपरोक्त अभ्यर्थी की ग्रामीण विकास मुख्यालय में वरिष्ठता कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड–II प्रतियोगी परीक्षा, 2018 की मेरिट सूची के अनुसार रहेगी।
15. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अंतर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गए निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
16. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

06/09/2022

(कजोड़मल दूड़िया)
शासन उप सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग के पत्रांक प. 1(2)प्र.सु./अनु–3/2020 दिनांक 01.04.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, वित्त एवं लेखा, ग्रामीण विकास।
5. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, ग्रामीण विकास (दो प्रतियों में)।
7. प्रोग्रामर मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करें।
8. संबंधित अभ्यथी श्री अभिषेक शर्मा, गांव मीणों का बाढ़ (बाढ़ कविश्वरान), पोस्ट–नायला, तहसील, जमवारामगढ़, जिला–जयपुर (राज0) को पालनार्थ प्रेषित है।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

06/09/2022

शासन उप सचिव(प्रशासन)